RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.

(A Government of Rajasthan Undertaking)
Corporate Identity Number (CIN): L 40109RJ2000SGC016485
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur 302 005
Tele- Fax: +91-141-2740455, website: www.rvpn.co.in

No.RVPN/Rectt/F.53/D. 680 dated : 23/12/19

: परिपत्र :

विषय— राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिको द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध मे।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक / क—2/2013 दिनांक 06.12.2019 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिन्होने लम्बे समय से टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नही की है तथा जिसके कारण उनके द्वारा मूल वेतन/ नियत वेतन पर कार्य किया जा रहा है, ऐसे कार्मिको को 02 अतिरिक्त अवसर देते हुए, वर्तमान में निर्धारित टंकण गति अंग्रेजी भाषा में 28 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी भाषा में 24 शब्द प्रति मिनट में एक बारीय शिथिलता देकर अंग्रेजी भाषा में गति 20 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनट किया जाना उचित माना गया है। जिससे ऐसे सभी कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन्हे समस्त वित्तीय परिलाभ दिये जा सके।

कार्मिक विभाग के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की गयी है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात् टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु 02 अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान करते हुए सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि इन कर्मचारियो के लिए जिला स्तर पर 30 जून 2020 तक 02 विशेष टंकण परीक्षाएं आयोजित होगी तथा इन परीक्षाओं में उपयुक्त कार्मिको के लिए संशोधित टंकण गति मानते हुए परिणाम जारी किया

जावेगा। दिनांक 31.12.2016 एवं इसके पश्चात् नियुक्त सभी कर्मचारियो की टंकण परीक्षा के संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी।

अतः इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षो/सम्बंधित नियंत्रण अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.12.2016 से पूर्व आपके कार्यालय मे नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की गयी है को उक्त दिये जा रहे 02 अवसरो (विशेष परीक्षा) के सम्बन्ध में स्वंय के स्तर पर अवगत कराये, जिससे सभी वंचित कर्मचारी उक्त टंकण परीक्षा मे सम्मिलित हो सके।

(श्याम सिंह)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. मुख्य अभियन्ता ( ) राराविप्रनिलि,------------
2. मुख्य लेखा नियंत्रक, राराविप्रनिलि, जयपुर।
3.. संयुक्त विधि परामर्शी, राराविप्रनिलि, जयपुर।
4. कम्पनी सचिव, राराविप्रनिलि, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), राराविप्रनिलि------------
6. संयुक्त निदेशक कार्मिक, राराविप्रनिलि, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव ( ), राराविप्रनिलि, जयपुर
8. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ),राराविप्रनिलि,------
9. सहायक सचिव ( ), राराविप्रनिलि, जयपुर।
10. निजी सचिव (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक), राराविप्रनिलि, जयपुर।
11. निजी सहायक (निदेशक- वित्त/तकनीकी),राराविप्रनिलि, जयपुर
12. निजी सहायक (सचिव-प्रशासन), राराविप्रनिलि, जयपुर।
13. कार्यालय प्रति।

20/12/19

(अमिताभ गुप्ता)
मुख्य कार्मिक अधिकारी